उत्तराखंड बेरोजगार संघ

ukbsangh@gmail.com

सत्यमेव विजयते नानृतम्
(पंजी०)

पत्रांक:उ० बे० सं० /24-25/ दिनांकः 18/08/2024

सेवा में,

श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी

मा० पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार

एवं पूर्व राज्यपाल,महाराष्ट्र

विषय - मा० मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विगत एक माह से बेरोजगारों को समय न दिए जाने के कारण आपको प्रदेश के बेरोजगारों की समस्याओं से अवगत कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों बेरोजगारों ने अपनी कई मांगों को लेकर विगत माह 30 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री आवास कूच किया था जिसमें प्रशासन द्वारा एस्लेहॉल चोक पर ही रोके जाने के पश्चात मा० मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी की अनुपस्थिति में उनके ओ एस डी से मुलाकात कर शीघ्र मा० मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर मांगो के समाधान का आश्वासन दिया गया था किंतु कई बार मा० मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय तय करने का अनुरोध करने के बावजूद भी मा० मुख्यमंत्री जी के पास प्रदेश के बेरोजगारों की विभिन्न मांगो को सुनने का जरा भी समय उनके पास उपलब्ध नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के हजारों बेरोजगारों की विभिन्न मांगों से मा० मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत कर अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का अनुरोध करें। प्रदेश के बेरोजगारों की प्रमुख **मांगे निम्न्वत हैं** :-

1- प्रस्तावित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाई जाए।

2- 7 वर्षों से रुकी उत्तराखंड ऊर्जा विभाग में UPCL/PITCUL और UJVNAL में JE/AE/TG2 की भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।

3- फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाई जाए।

4- संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची का प्राविधान संबंधी शासनादेश तत्काल जारी किया जाए।

5- उत्तराखंड में फर्जी स्थाई निवास बनाकर नौकरी पाने वाले तथा संबंधित स्थाई निवास प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए।

6- पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए।

CamScanner

7- गैरसैंण विधानसभा सत्र में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने संबंधी बयान पर उचित कार्यवाही करते हुए बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे अतिशीघ्र वापस लिए जाएं।

8- बीआरपी & सीआरपी के 955 पदों का मामला, जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है , को आयोग द्वारा स्थाई नियुक्ति के माध्यम / विभागीय माध्यम से भरा जाए।

9- राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में एपीआई प्रणाली को समाप्त कर परीक्षा एवं साक्षात्कार प्रणाली (90:10 अनुपात) शुरू करने संबंधी शासनादेश तत्काल जारी किया जाए।

10- कृषि ,उद्यान एवं पशुपालन विभाग में चयनित अभ्यार्थियों का अंतिम परिणाम तत्काल जारी किया जाए।

11- उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी कर तत्काल भरा जाए।

12- प्रयाग पोर्टल में अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को पूर्णतय पारदर्शी बनाया जाए।

निवेदक:

उत्तराखंड बेरोजगार संघ

मो० 9568995137, 7300586755

CamScanner